"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 अप्रैल 2018 — चैत्र 17, शक 1940

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अपैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-34/2017/गृह-दो. — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थान को उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये "पुलिस थाना" घोषित करती है जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

अनुसूची

स. क्र.	पुलिस थाना का नाम	पुलिस थाना के संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अजाक पुलिस थाना बलौदा बाजार	सम्पूर्ण बलौदा बाजार जिला
2.	अजाक पुलिस थाना गरियाबंद	सम्पूर्ण गरियाबंद जिला
3.	अजाक पुलिस थाना बालोद	सम्पूर्ण बालोद जिला
4.	अजाक पुलिस थाना बेमेतरा	सम्पूर्ण बेमेतरा जिला
5.	अजाक पुलिस थाना धमतरी	सम्पूर्ण धमतरी जिला
6.	अजाक पुलिस थाना मुंगेली	सम्पूर्ण मुंगेली जिला

(1)	(2)	(3)
7.	अजाक पुलिस थाना कोण्डागांव	सम्पूर्ण कोण्डागांव जिला
8.	अजाक पुलिस थाना नारायणपुर	सम्पूर्ण नारायणपुर जिला
9.	अजाक पुलिस थाना बीजापुर	सम्पूर्ण बीजापुर जिला
10.	अजाक पुलिस थाना कांकेर	सम्पूर्ण कांकेर जिला
11.	अजाक पुलिस थाना सुकमा	सम्पूर्ण सुकमा जिला
12.	अजाक पुलिस थाना बलरामपुर	सम्पूर्ण बलरामपुर जिला
13.	अजाक पुलिस थाना जशपुर	सम्पूर्ण जशपुर जिला
14.	अजाक पुलिस थाना कोरिया	सम्पूर्ण कोरिया जिला

No. F 3-34/2017/Home-2. — In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, declares the place specified in Column (2) of the Schedule hereunder as "Police Station" for the area specified in the corresponding entry in Column (3) thereof, in respect of the Offences under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Police Station (2)	Areas falling within the respective jurisdiction of Police Station (3)
1.	AJK Police Station Baloda Bazar	Whole District of Baloda Bazar.
2.	AJK Police Station Gariyaband	Whole District of Gariyaband.
3.	AJK Police Station Balod	Whole District of Balod.
4.	AJK Police Station Bemetara	Whole District of Bemetara.
5.	AJK Police Station Dhamtari	Whole District of Dhamtari.
6.	AJK Police Station Mungeli	Whole District of Mungeli.
7.	AJK Police Station Kondagaon	Whole District of Kondagaon.
8.	AJK Police Station Narayanpur	Whole District of Narayanpur.
9.	AJK Police Station Bijapur	Whole District of Bijapur.
10.	AJK Police Station Kanker	Whole District of Kanker.
11.	AJK Police Station Sukma	Whole District of Sukma.
12.	AJK Police Station Balrampur	Whole District of Balrampur.

(1)	(2)	(3)
13.	AJK Police Station Jashpur	Whole District of Jashpur.
14.	AJK Police Station Koriya	Whole District of Koriya.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.